न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2017/00319 (190/2017) **दायरा दिनांक : 06.11.2017**

उनवान

1. श्रीमति रूकमणी पत्नी श्री त्रिलोकचन्द, जाति कलाल
2. महेश पारेता पुत्र श्री त्रिलोकचंद, जाति कलाल
3. गिर्राज पारेता पुत्र श्री त्रिलोकचंद, जाति कलाल
   निवासीगण मकान नं05 आई–46 महावीर नगर तृतीय कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र गजानंद, जाति कलाल, निवासी पंचोलियो का मौहल्ला, घांस भैरु जी की गली, कापरेन, जिला बूंदी
2. प्रेमशंकर पुत्र श्री हरिनारायण पारेता जाति कलाल, निवासी मकान नं. आई–46 महावीर नगर तृतीय कोटा
3. श्रीमति कौशल्या पुत्री हरिनारायण पत्नी केशवकांत शिवहरे, जाति कलाल, निवासी सीताराम का मंदिर भोई मौहल्ला श्योपुरकला मध्य प्रदेश
4. राज० सरकार जर्ये तहसीलदार माँगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 09.10.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 67/2015 निर्णय दिनांक 20.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 महावीर ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल ग्राम रायथल, तहसील मांगरोल के खेवट खतौनी संख्या नयी 341 पुरानी 3158 की आराजी खसरा नं. 716 रकबा 1.45 हेक्टेयर, खसरा नं. 1352/2350 रकबा 0.98 हेक्टेयर, खसरा नं. 1529 रकबा 0.48 हेक्टेयर, खसरा नं. 1656 रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा नं. 1828 रकबा 0.20 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.31 हेक्टेयर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 20.07.2017 से मूल वाद के निस्तारण तक आदेशित किया जा चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र को अलग से चलाये जाना उचित नहीं समझते। पत्रावली का निस्तारण कर प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ सलंग्न कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा दिनांक 20–07–2017 एवं उससे पूर्व दिनांक 01–03–2016 को विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित किये गये है जो सर्वथा न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० क्रम 1 महावीर प्रसाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92, 53, 188 आर.टी. एक्ट का वाद क्रमांक 202/2015 दिनांक 07–12–2015 को पेश किया गया जो तलबी में दिनांक 28–12–2015 नियत की गई किन्तु उक्त दिनांक को जनरल तारीख 12–01–2016 नियत की गई 12–01–2016 को भी कोई कार्य नहीं होने से जनरल तारीख 28–01–2016 की गई 28–01–2016 को भी कोई कार्य नहीं होने से जनरल तारीख 28–03–2016 नियत की गई जो तलबी में थी किन्तु रेस्पो० क्रम 1 महावीर प्रसाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01–03–2016 को एक प्रार्थना पत्र अर्जेन्ट नेचर का बताते हुये स्थगन आदेश पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांटगण को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये, न किसी प्रकार की उनको तामील कराई गई अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा अर्जेन्ट नेचर के प्रार्थना पत्र पर ही दिनांक 01–03–2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये स्थगन आदेश पारित करते हुये आदेशित किया कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 की तरफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की जाती है कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड के अनुसार यथास्थिति बनाये रखे किन्तु आगे पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28–03–2016 को अपीलांटगण की ओर से भंवर सिंह गौड द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं पी.ओ. साहब अवकाश में पधारे हुये है वास्ते आदेश दिनांक 30–03–2016 को अपीलांटगण के लिये तारीख पेशी दी गई। दिनांक 30–03–2016 को अपीलांटगण के अधिवक्ता के द्वारा एक तरफा कार्यवाही मंसूख के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर दिनांक 13–04–2016 को तारीख पेशी नियत की गई। 13–04–2016 को एक तरफा कार्यवाही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व जवाब मूल प्रार्थना पत्र हेतु तारीख पेशी 18–05–2016 नियत की गई किन्तु 18–05–2016 को कोई काम नहीं होने से जनरल तरीख 10–06–2016 व 10–06–2016 को कोई कार्य नहीं होने से जनरल तारीख 28–07–2016 नियत की गई 28–07–2016 को कोई कार्य नहीं होने से 21–09–2016 नियत की गई 21–09–2016 को वास्ते जवाब मूल प्रार्थना पत्र हेतु 16–11–2016 तारीख पेशी नियत की गई 16–11–2016 को कोई कार्य नहीं होने के जनरल तारीख 11–01–2017 व 11–01–2017 को कार्य नहीं होने से 01–03–2017 व 01–03–2017 को जवाब में 24–04–2017, 24–04–2017 को जवाब में 05–06–2017 व 05–06–2017 को

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जवाब में 20–07–2017 नियत की गई किन्तु 20–07–2017 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा यह कहते हुये उक्त प्रकरण निस्तारण किया गया कि प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट में दिनांक 01–03–2016 को मूल वाद के निस्तारण तक आदेशित किया जा चुका है इसलिये न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को अलग से चलाया जाना उचित नहीं समझता है पत्रावली का निस्तारण कर प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न किया जावे इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है जो सर्वथा न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांटगण को जवाबदेही करने एवं विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 01–03–2016 एवं दिनांक 20–07–2017 पारित किये गये है जो सर्वथा न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2017 एवं 01–03–2016 निरस्त फरमाया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांटगण को जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2016 को पत्रावली तलबी में नियत थी। दिनांक 01.03.2016 को अधीनस्थ न्यायालय एक्सपार्टी करते हुए प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.02.2016 का प्रार्थना पत्र न्यायालय ने 01.03.2016 को मार्क किया और उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगने पर पक्षकारान को सुनने हेतु नोटिस विधिवत जारी होने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के आदेशों की अवहेलना की है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है, दादी के नाम की आराजी है, दादी की मृत्यु के बाद फौती नामान्तरकरण को रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है। अन्तरिम आदेश नहीं कर अंतिम निर्णय ताफैसला किया जो गलत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल का निर्णय अपास्त किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होने से प्रथम पेशी में ही अप्रार्थी की तलबी रजिस्टर्ड ए. डी. से करवायी है। दिनांक 28.03.2016 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपील में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कुछ नहीं कहा। अतः अपील खारिज की जावे।

(दीपचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा किया गया तथा दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वाके माल रायथल तहसील मांगरोल के खेवट खतोनी संख्या नयी 31 पुरानी 3158 की कुल किता 5 कुल रकबा 4.31 हैक्टर आराजियात में खसरा नं. 716 रकबा 1.45 हेक्टर, खसरा नं. 1352/2350 रकबा 0.98 हेक्टर, खसरा नं. 1529 रकबा 0.48 हेक्टर आराजी मृतक पिता गजानंद के खाते की पेतृक आराजी है जो मृतक गजानंद के फौती नामांतरण संख्या 140 से प्रार्थी महावीर एवं माता मोत्या एवं बहिन सूरजा बाई को जर्ये विरासतन प्राप्त हुई। इसी प्रकार खसरा नं. 1656 रकबा 1.20 हेक्टर, खसरा नं. 1828 रकबा 0.20 हेक्टर की आराजियात माता मोत्या की पैतृक आराजियात थी जो मोत्या को उसके भाई मूलचन्द ने मोत्या के हक हिस्से के रूप में दी थी। मोत्या बाई की मृत्यु उपरांत जर्ये फौती नामांतरण 327 दिनांक 02.05.2000 से प्रार्थी एवं उसकी मृतक बहिन सूरजा बाई के नाम दाखिल खारजा हुई।

प्रार्थी की माता मोत्या बाई ने अपने जीवन काल में खसरा नं. 716 रकबा 1.45 हेक्टर, खसरा नं. 1529 रकबा 0.48 हेक्टर व खसरा नं. 1532 रकबा 0.98 हेक्टर के 1/3 हिस्से की आराजी का वसीयतनामा दिनांक 10.02.1994 को निष्पादित कर प्रार्थी को अपने खाते एवं हक हिस्से की आराजी का वसीयती उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मृतका मोत्या बाई की मृत्यु दिनांक 07.08.1994 को हो गयी। मृतका मोत्या बाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 10.02.1994 गुम हो गया जो काफी प्रयास के बाद भी नही मिला। इस वर्ष दीपावली की सफाई के दौरान उक्त असल वसीयतनामा दिनांक 10.02.1994 मिलने के फलस्वरूप प्रार्थी क्षेत्रफल 3.94 हेक्टर हिस्से की आराजी का खातेदार कृषक होने की विधिक प्रास्थिति की घोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी विवादित आराजी पर अपने माता पिता के जीवनकाल से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। मृतका सुरजा बाई के मृत्यु उपरांत से ही अप्रार्थी कम 4 व 5 विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है और विवादित आराजी पर मृतक सूरजा बाई के फौती नामान्तरण से अपना नाम खाते दर्ज करवाकर आराजी को तृतीय पक्ष हित अन्तरण करने पर आमदा होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि वह विवादित आराजियात पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत न करे न करवाये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 01.03.2016 से प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 की तरफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड के अनुसार यथास्थिति बनाये रखे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 20.07.2017 से अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि प्रार्थी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 01.03.2016 को मूल वाद के निस्तारण तक आदेशित किया जा चुका है इसलिए न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को अलग से चलाये जाना उचित नहीं समझता है। पत्रावली का निस्तारण कर प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ सलंग्न किये जाने का आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 07.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात दिनांक 01.03.2016 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते अर्जेन्ट सुनवाई कर स्थगन आदेश वास्ते रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण में उसी दिन सुनवाई कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश देते हुए प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थी कम 1 ता 5 अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 की तरफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी की राजस्व रेकार्ड के अनुसार यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.03.2016 को पेश हो।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधान एवं सी. पी. सी. में निर्धारित न्यायालय की विधिक प्रकिया के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश एवं पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने के पश्चात पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.03.2016 को नियत की गई अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश अंतरिम प्रकृति आदेश है परन्तु आदेश में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का उल्लेख नहीं कर सीधे अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को सुने बिना ही जारी की गई। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी या अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त होने तक जारी नहीं की गई। पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी में थी और दिनांक 01.03.2016 को उक्त आदेश जारी करने के पश्चात पत्रावली सीधे बहस हेतु दिनांक 28.03.2016 को नियत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से अप्रार्थीगण की तलबी होने या नहीं होने के स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार एवं अस्वीकार करने के सन्दर्भ में पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.04.2016 में स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया और सीधे ही पत्रावली वास्ते जवाब मूल प्रार्थना पत्र में दिनांक 18.05.2016 को नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली जवाब मूल प्रार्थना पत्र में चलती रही तथा दिनांक 20.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पर अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त किये बिना एवं गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण किये बिना ही यह निर्णय पारित किया कि प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 01.03.2016 को मूल वाद में निस्तारण तक आदेशित किया जा चुका है इसलिए न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को अलग से चलाये जाना उचित नहीं समझता है। पत्रावली का निस्तारण कर प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ सलंग्न किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को अप्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र का जवाब प्राप्त कर अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को गुणावगुण के आधार पर विधिवत निस्तारण करते हुए अंतिम रूप से निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2016 को पारित आदेश अंतरिम आदेश था। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हेने एवं अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने के तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों एवं सी.पी.सी. में न्यायिक प्रक्रिया हेतु निर्धारित विधिक प्रावधानों की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.03.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए इस निर्णय के संज्ञान में आने की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विधिवत अंतिम रूप से निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाये। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.12.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/10/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा